



न्यायालय :- अपर सेशन न्यायाधीश क्रम-02 आबूरोड, जिला सिरोही ।

पीठासीन अधिकारी : सुरेश कुमार, आर.जे.एस.
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)
सेशन प्रकरण सँख्या : 21/2021(19/2023)
सी.आई.एस.सँख्या : 27/2021

01- राज्य सरकार जरिये अपर लोक अभियोजक आबूरोड, जिला सिरोही ।

..... अभियोगी

बनाम

- 01- गुलाराम पुत्र पूनाराम, उम्र 20 साल,
02- चतराराम पुत्र वेलाराम, उम्र 21 साल,
03- लालाराम पुत्र गलबाराम, उम्र 25 साल, (मफरूर दिनांक 16.01.2026)
04- गोवाराम पुत्र गलबाराम, उम्र 22 साल,
05- रमेश कुमार पुत्र हीराजी, उम्र 20 साल, निवासीगण आकोर फली, कुई, पुलिस थाना आबूरोड सदर, जिला सिरोही।
06- विष्णु उर्फ पोटिया पुत्र बदाराम, उम्र 20 साल, निवासी कुई पुलिस थाना आबूरोड सदर, जिला सिरोही ।

..... अभियुक्तगण

**अपराध अन्तर्गत धारा 341, 323/34 व 395 भारतीय दण्ड संहिता
प्रथम सूचना रिपोर्ट सँख्या 103/2021 आरक्षी केन्द्र आबूरोड रिक्रो**

उपस्थिति :-

- 01- श्री दिनेश खण्डेलवाल, विद्वान अपर लोक अभियोजक, राज्य की ओर से ।
02- श्री संजय चौधरी/श्री कैलाश सिंह देवडा, विद्वान अधिवक्तागण, अभियुक्तगण की ओर से ।

निर्णय

दिनांक :- 09.07.2026

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण

अपराध की तिथि	03.07.2021 व 04.07.2021
प्रथम सूचना रिपोर्ट की तिथि	08.07.2021
आरोप पत्र प्रस्तुत किए जाने की तिथि	05.10.2021
आरोप विरचित किए जाने की तिथि	31.05.2022
साक्ष्य आरंभ किए जाने की तिथि	19.01.2023
बहस अंतिम	07.07.2026
निर्णय की तिथि	09.07.2026



नोट- अभियुक्त लालाराम दिनांक 16.01.2026 से प्रकरण में मफरूर है। शेष अभियुक्तगण 01- गुलाराम पुत्र पूनाराम, 02- चतराराम पुत्र वेलाराम, 03-गोवाराम पुत्र गलबाराम, 04-रमेश कुमार पुत्र हीराजी एवं 05-विष्णु उर्फ पोटिया पुत्र बदाराम की हद तक हस्तगत निर्णय पारित किया जा रहा है।

01- प्रकरण के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि दिनांक 08.07.2021 को प्रार्थी मुकेश कुमार पुत्र श्री मांगीलाल ने उपस्थित थाना होकर एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि दिनांक 04.07.2021 को रात को करीब 01.20 बजे दिनांक 03.07.2021 की मध्य रात्री के आस-पास अपनी मोटरसाईकिल से हाईवे पर स्थित पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरवाकर आ रहा था तब रास्ते में कसनाराम प्रजापत के कुएं के सामने करीब 07 से 08 लोगो ने मुझे रोक लिया, उन सभी के हाथ में कुल्हाड़ी, चाकु, लाठी-डंडे व धारदार हथियार थे। मैं कुछ समझ पाता इससे पहले उन्होंने मेरे साथ मारपीट करना चालु कर दिया और मेरे पास उस समय सोने व चांदी के गहने पहने हुए थे, उन गहनो को उतरवाकर ले लिया, जिनमें सोने की दो मणिया तथा चांदी की माटलिया (चांदी का कडा), हाथ में पहनने की कावली, गले की हांसली, चांदी की टोटी तथा चैन व का ब्रेसलेट तथा दो मोबाईल ले लिए, उस समय मेरे साथ मेरी भांजी सरला पुत्री भीमाराम भी थी। मुझे उसकी जान-माल की चिंता होने के कारण मैं उनका विरोध भी नहीं कर सका, उस दिन मेरे परिवार में वैवाहिक कार्यक्रम था और इस कारण मैं मेरी उक्त भांजी को लेने के लिए गया हुआ था। अतः मुलजिमानों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करावे..... इत्यादि।

02- उपरोक्त रिपोर्ट के आधार पर आरक्षी केन्द्र आबूरोड रिक्रो द्वारा एफआईआर संख्या 103/2021 जुर्म धारा 341, 323 व 392 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत पंजीबद्ध की जाकर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया तथा बाद अनुसंधान अभियुक्तगण गुलाराम पुत्र पूनाराम, चतराराम पुत्र वेलाराम, लालाराम पुत्र गलबाराम, गोवाराम पुत्र गलबाराम, रमेश कुमार पुत्र हीराजी के विरुद्ध धारा 341, 323 392 व 395 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अपराध प्रमाणित माना एवं अभियुक्त विष्णु उर्फ पोटिया पुत्र बदाराम के विरुद्ध धारा 173(8) जा.फौ. में अनुसंधान जारी रखा तत्पश्चात अभियुक्त विष्णु उर्फ पोटिया पुत्र बदाराम के विरुद्ध तितम्बा आरोपपत्र न्यायिक मजिस्ट्रेट आबूरोड के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिस पर अभियुक्तगण के विरुद्ध उक्त धाराओं के अन्तर्गत अपराध का प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय होने से न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश संख्या 01 आबूरोड को कमीट होकर प्राप्त हुआ। तत्पश्चात् श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, सिरौही के आदेश क्रमांक 154 दिनांक 26.06.2023 को न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश संख्या 01 आबूरोड से स्थानांतरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

03- बहस चार्ज सुनी जाकर अभियुक्तगण गुलाराम पुत्र पूनाराम, चतराराम पुत्र वेलाराम, लालाराम पुत्र गलबाराम, गोवाराम पुत्र गलबाराम, रमेश कुमार पुत्र हीराजी एवं विष्णु उर्फ पोटिया पुत्र बदाराम के विरुद्ध धारा 341, 323/34 व 395 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत पृथक से विरचित किये जाकर आरोप अभियुक्तगण को सुनाये व समझाये गये तो अभियुक्तगण ने आरोप सुन व समझकर अस्वीकार करते हुए अन्वीक्षा चाही।

04- अन्वीक्षा में अभियोजन ने अपने पक्ष समर्थन में निम्नलिखित साक्षीगण एवं दस्तावेजात को परीक्षित करवाया :-

मौखिक साक्षीगण :-

क्रम संख्या	गवाह संख्या	गवाह का नाम
1	पी.ड.1	अरविंद सिंह
2	पी.ड.2	मनराराम



3	पी.ड.3	झूमाराम
4	पी.ड.4	गुप्तेराम
5	पी.ड.5	मुकेश कुमार
6	पी.ड.6	शांतिलाल
7	पी.ड.7	सकाराम
8	पी.ड.8	दिनेश कुमार
9	पी.ड.9	बाबुराम

दस्तावेजी साक्ष्य :-

प्रदर्श क्रमांक	दस्तावेज का नाम	प्रदर्श क्रमांक	दस्तावेज का नाम
प्रदर्श पी.1	फर्द नक्शा मौका व हालात मौका	प्रदर्श पी.2	फर्द मौका तस्दीक लालाराम
प्रदर्श पी.3 लगायत पी.6	फर्द बरामदगी	प्रदर्श पी.7 लगायत पी.10	फर्द बरामदगीस्थल नक्शामौका
प्रदर्श पी.11 लगायत पी.13 व पी.14 लगायत 15	फर्द जब्ती एवं फर्द बरामदगीस्थल कानों में पहनने के गोखरू, मोबाईल व मोटरसाईकिल	प्रदर्श पी.16 व 17	फर्द मौका तस्दीक अभियुक्त गोवा व विष्णु
प्रदर्श पी.18	फर्द जब्ती मोटरसाईकिल	प्रदर्श पी.19 व 20	फर्द मौका तस्दीक अभियुक्त गुलाराम व चतराराम
प्रदर्श पी.21	घटना की तहरीर	प्रदर्श पी.22	मेडिकल नहीं करवाने बाबत प्रार्थना पत्र
प्रदर्श पी.23 लगायत पी.28 व पी.23 ए लगायत 28 ए	फर्द शिनाख्त अभियुक्तगण एवं प्रमाणित प्रतियां	प्रदर्श पी.30 लगायत पी. 32 एवं पी.37 लगायत 39	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्तगण
प्रदर्श पी.33 लगायत 35 व पी.40 व 41	फर्द इत्तिला धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम अभियुक्तगण		

05- दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अन्तर्गत अभियुक्तगण को परीक्षित किया गया तो अभियुक्तगण ने अभियोजन साक्षीगण के कथनों को गलत होना बताते हुए साक्ष्य सफाई प्रस्तुत करना नहीं चाहा ।

06- बहस अन्तिम सुनी। विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण की बहस रही कि अभियुक्तगण निर्दोष है। उनके द्वारा न तो परिवादी के साथ कोई मारपीट की और न ही कोई लूट कारित की। घटना रात्रि को लगभग 01.30 बजे की बतलाई गई है व अज्ञात अभियुक्तगण के विरुद्ध दर्ज करवाई गई। घटना के पश्चात् अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर इस प्रकरण में आलिप्त किया। अभियुक्तगण से बताई गई बरामदगी पूर्णतः संदिग्ध है। स्वयं परिवादी ने अभियुक्तगण को पहचानने से इंकार किया है। घटना की चक्षुदर्शी साक्षी सरला को परीक्षित नहीं करवाया गया। अन्य साक्षीगण पक्षद्रोही रहे हैं। अतः अभियुक्तगण को दोषमुक्त किया जावे।

07- विद्वान अपर लोक अभियोजक की बहस रही है कि अभियुक्तगण ने एकराय होकर रात्रि के समय परिवादी को रोककर लूट कारित की है। अभियोजन की साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप युक्तियुक्त संदेह से परे साबित है। अतः अभियुक्तगण को दोषसिद्ध घोषित किया जावे।



08- हमने विद्वान अधिवक्तागण द्वारा दिए गए परस्पर विरोधी तर्कों पर मनन किया। अभिलेख का अवलोकन किया। हस्तगत प्रकरण में न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न यह है कि :-

"01- क्या दिनांक 03.07.2021 व 04.07.2021 की मध्य रात्रि के लगभग 01.30 बजे मौजा भैसासिंह जाने वाले आम रास्ते पर अभियुक्तगण गुला, चतरा, गोवा, रमेश व विष्णु ने परिवादी मुकेश व उसकी भांजी सरला को साशय रोककर कुंदाले से मारपीट की व मुकेश को मारपीट का भय दिखाकर सोने की दो मणिया, चांदी की माटलिया, हाथ में पहनने की कावली, गले की हांसली, चांदी की टोटी, एक चैन व हाथ का ब्रेसलेट तथा दो मोबाईल लूट लिए ?

"02- क्या अभियोजन ने अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपित अपराध को युक्तियुक्त सन्देह से परे प्रमाणित कर दिया है ? यदि हाँ, तो अभियुक्तगण को किस दण्ड से दण्डित किया जाना न्यायोचित होगा ?

09- उपरोक्त बिंदु के संदर्भ में अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपित अपराधों को साबित करने के अनुक्रम में अभियोजन ने कुल 09 गवाह परीक्षित करवाए व कुल 41 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए। अभियोजन द्वारा अभिलेख पर पेश की गई उपरोक्त मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन करे तो हस्तगत प्रकरण आधारशिला लिखित प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श 21 में परिवादी मुकेश कुमार ने कथन किया है कि 04.07.2021 को रात्रि 01.30 बजे के लगभग वह अपनी मोटरसाईकिल से पट्रोल भरवाकर आ रहा था। रास्ते में कसनाराम प्रजापत के कुंए के पास 7-8 लोगों ने उसे रोका, जिनके हाथ में कुल्हाड़ी, चाकु, लाठी-डंडे व हथियार थे। उन्होंने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी और उसके पहने हुए सोने-चांदी के गहनों व मोबाईल छीन लिए। उस समय उसके साथ उसकी भांजी सरला भी थी। जान-माल का भय होने से उसने विरोध नहीं किया। इस प्रकार परिवादी ने अज्ञात 7-8 लोगों के द्वारा मारपीट व लूट कारित किया जाना कथन किया है।

10- अभियोजन ने नक्शामौका के साक्षी अरविंद सिंह को बतौर पी.ड.01 परीक्षित करवाया, जिसने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि 09.07.2021 दोपहर 12.30 बजे पुलिस वाले मौके पर आए व मुआयना कर नक्शामौका व हालातमौका प्रदर्श पी 01 बनाया तथा उसके हस्ताक्षर करवाए। उस समय मुकेश और मनराराम भी मौजूद थे। प्रतिपरीक्षा में उक्त साक्षी ने कथन किया है कि मौके पर कोई आलामात नजर नहीं आ रहे थे। नक्शामौका व बरामदगी का साक्षी मनराराम बतौर पी.ड.02 परीक्षित हुआ, जिसका मुख्य परीक्षण में सशपथ कथन रहा है कि 09.07.2021 को पुलिस वाले अमरनाथ होटल के आगे मौके पर आए। इसके अलावा अरविंद व मुकेश भी थे। पुलिस ने घटनास्थल की लिखापट्टी की, नक्शामौका व हालातमौका प्रदर्श 01 बनाया, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। दिनांक 14.07.2021 को अभियुक्त चतरा व गुला ने मौका दिखाया था, जिसकी फर्द प्रदर्श पी 02 है। पुलिस ने गुलाराम से कान के दो टुटे, चतराराम के घर से दो छुडियां बरामद की व फर्द प्रदर्श 03 से 07 बनाई तथा बरामदगीस्थल के नक्शा की फर्द 08 से 10 तैयार की।

11- आगे साक्षी ने कथन किया है कि दिनांक 14.10.2021 को अभियुक्त विष्णु के घर से कान के दो घूघरे व एक टेक्नो मोबाईल बरामद किया तथा खेत से एक मोटरसाईकिल की बरामदगी की गई, जिसकी फर्द प्रदर्श 11 से 15 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। अभियोजन ने उक्त साक्षी को पक्षद्रोही घोषित करवाकर प्रतिपरीक्षण किया, जिसने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि दिनांक 14.10.2021 को विष्णु उर्फ पोटिया ने घटनास्थल का मौका तस्दीक करवाया, जिसकी फर्द प्रदर्श 17



है। उसके सामने गोवाराम से एक मोटरसाईकिल बरामद की, जिसकी फर्द प्रदर्श 18 है। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी स्वीकार करता है कि वह अभियुक्तगण के गांव का नहीं है। पुलिसवालों ने थाने पर बुलाकर उपरोक्त जेवरात उससे बरामद करवाए थे और सारी फर्दे थाने पर तैयार की थी।

12- पी.ड.03 झूमाराम पक्षद्रोही रहा और कथन किया है कि मुकेश के साथ 4-5 साल पहले लूट हुई थी। इसके अलावा उसे कोई जानकारी नहीं है। अभियोजन के द्वारा किए गए प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने स्वीकार किया है कि दिनांक 13.07.2021 को चतराराम ने घटनास्थल तस्दीक करवाया हो, उसे जानकारी नहीं है, परंतु फर्द प्रदर्श 19 व 2 पर उसके हस्ताक्षर हैं। बचाव पक्ष की जिरह में उक्त साक्षी ने कथन किया है कि उसे थाने में बुलाकर पुलिस ने मुकेश के साथ लूटमार होने की बात बताई थी और पुलिस ने कहा कि लूटमार की कार्यवाही कर रहे हैं, जिस पर उसने कोरे कागजों पर हस्ताक्षर किए थे। पी.ड.04 गुप्ताराम भी पक्षद्रोही रहा और कथन किया है कि उसे घटना की कोई जानकारी नहीं है, न ही पुलिस ने उसके साथ कोई बरामदगी की। अभियोजन द्वारा उक्त साक्षी से जिरह की गई, तो उसने अभियोजन के इन सुझावों को गलत बताया कि गुलाराम से कोई बरामदगी की गई हो, परंतु फर्द प्रदर्श 03 से 10 में अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया। आगे उक्त साक्षी गुलाराम के घर से मोटरसाईकिल बरामद करना गलत बताया है, परंतु फर्द प्रदर्श 17, 18 व 20 पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार करता है।

13- परिवादी मुकेश कुमार बतौर पी.ड.05 परीक्षित हुआ, जिसने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि बयान के करीब 03 साल पहले की बात है, वह अपने घर से रात 01.00 बजे मोटरसाईकिल में डीजन भरवाने जा रहा था। रास्ते में कसनाराम के कुंए के पास 7-8 लोगों ने उसे रोका, मारपीट की व सोने-चांदी के जेवरात, दो मोबाईल व मोटरसाईकिल लूट कर ले गए। उसने घटना की रिपोर्ट प्रदर्श 21 थाने पर दी। पुलिस ने घटनास्थल का नक्शा प्रदर्श 01 बनाया, जिस पर क्रमशः ए से बी व ई से एफ उसके हस्ताक्षर हैं। उसे कोई जाहिरा चोट नहीं होने के कारण उसने मेडिकल नहीं करवाने बाबत प्रार्थना पत्र प्रदर्श 22 दिया था, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसे आबूरोड कोर्ट में बुलाकर अभियुक्तगण की पहचान करवाई, जिस पर उसने गुलाराम, गोवाराम, चतरा, रमेश व विष्णु की पहचान की। आगे साक्षी फर्द शिनाख्तगी गुला, चतरा, गोवा, विष्णु व रमेश क्रमशः प्रदर्श 23, 24, 25, 26 व 28 पर ए से बी अपने हस्ताक्षर होना कथन करता है। पी.ड.06 शांतिलाल ने सशपथ कथन किया है कि दिनांक 13.10.2021 को वह पुलिस थाना रिक्रो में कानि. के पद पर था। उस दिन शाम 05 बजे उसके व अमन कुमार के समक्ष अभियुक्त विष्णु को जरिये फर्द प्रदर्श 30 गिरफ्तार किया। पी.ड.07 सकाराम का कहना है कि बयान से करीब तीन साल पहले अमरनाथ होटल के पास लूट-पाट हुई, पुलिस वहां आई। पुलिस ने विष्णु के घर से एक मोबाईल, एक जोड़ी गोखरू व एक मोटरसाईकिल बरामद की, जिनकी फर्द प्रदर्श 11, 12, 13 व 15 तैयार की, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। पी.ड.09 बाबुराम का कहना है कि बयान से तीन-चार साल पहले अमरनाथ होटल के पास पुलिस ने घटनास्थल की लिखापट्टी कर फर्द प्रदर्श 19 व 20 बनाई, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। पी.ड.08 दिनेश कुमार ने प्रकरण में अनुसंधान संबंधी साक्ष्य दी।

14- अभियोजन द्वारा अभिलेख पर पेश की गई उपरोक्त मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य का विवेचन व विश्लेषण करे तो प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श 21 के अनुसार घटना रात को 01.30 बजे की बताई गई है और घटनास्थल पर 7-8 अज्ञात लोगों द्वारा आकर परिवादी के साथ मारपीट कर सोने-चांदी के जेवरात, दो मोबाईल व मोटरसाईकिल की लूट कारित किया जाना कथन किया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार परिवादी के साथ उसकी भांजी सरला भी थी। इस प्रकार प्रकरण में घटना की एकमात्र चक्षुदर्शी साक्षी सरला थी, परंतु अभियोजन की ओर से सरला को परीक्षित नहीं करवाया गया और न ही



उसको परीक्षित नहीं करवाने का कोई स्पष्टीकरण दिया गया। परिवादी मुकेश, जो घटना का एकमात्र चक्षुदर्शी साक्षी व पीडित रहा है, बतौर पी.ड.05 मुख्य परीक्षण में 7-8 अज्ञात लोगों द्वारा मारपीट कर लूट कारित किया जाना कथन करता है, वहीं बचाव पक्ष के जिरह में स्वीकार करता है कि रिपोर्ट प्रदर्श पी 21 पुलिस वालों टाईप करवाकर लाए थे। मैंने मात्र उस पर हस्ताक्षर किए थे। यह बात सही है कि घटना रात्र के एक बजे घोर अंधेरे में हुई। यह बात सही है कि रिपोर्ट में मेरे साथ मारपीट करने वाले अभियुक्तगण की कद-काठी, उम्र, पहचान व हुलिये का विवरण नहीं दिया है, क्योंकि मैं किसी अभियुक्त का चेहरा नहीं देख पाया। मेरे साथ रात्रि में वारदात करने वाले व्यक्तियों को नहीं पहचान सकता। हाजिर अदालत अभियुक्तगण को देखकर कहा कि उक्त लोगों ने मेरे साथ कोई वारदात नहीं की। आगे उक्त साक्षी इस बात को सही बताता है कि मुझे शिनाख्तगी की कार्यवाही करने से पूर्व पुलिस वालों ने सभी अभियुक्तगण को बताकर कहा था कि इन व्यक्तियों को पहचानना है। अंत में इस बात को सही बताया कि उसे आज तक नहीं पता कि उसके व उसकी भांजी सरला के साथ वारदात किसने की। इस प्रकार उक्त साक्षी न केवल लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी 21 के निष्पादन से इंकार करता है, बल्कि हाजिर अदालत अभियुक्तगण को पहचानने से भी इंकार किया है। इस प्रकार उपरोक्त अभियुक्तगण ने परिवादी को रोककर मारपीट कर लूट कारित की हो, यह तथ्य पूर्णतः संदेहपूर्ण है।

15- घटनास्थल के नक्शामौका प्रदर्श पी 01 का साक्षी पी.ड.01 बचाव पक्ष की जिरह में स्वीकार करता है कि घटनास्थल पर कोई आलामात नहीं थे, वहीं बरामदगी का साक्षी पी.ड.02 मनराराम बचाव पक्ष के प्रतिपरीक्षण में स्वीकार करता है कि पुलिस ने उसे थाने पर बुलाकर कहा था कि यह जेवरात अभियुक्तगण से बरामद किए हैं और पुलिस ने सारी फर्दात पर थाने पर ही उसके हस्ताक्षर करवाए थे। इस प्रकार तथाकथित बरामदगियां उपरोक्त अभियुक्तगण गुला, चतरा, गोवा, रमेश व विष्णु की स्वेच्छया इत्तिला पर की गई हो, यह तथ्य भी संदेहपूर्ण है। पी.ड.03 झूमराम भी बचाव पक्ष की जिरह में स्वीकार करता है कि पुलिस ने थाने पर बुलाकर उसे लूट होने की बात बताई थी और थाने पर ही उसके कोरे कागजों पर हस्ताक्षर करवाए थे। पी.ड.04 गुप्तराम भी फर्द बरामदगी के तथ्यों से इंकार करता है। प्रकरण में अनुसंधानकर्ता दिनेश कुमार प्रतिपरीक्षण में स्वीकार करता है कि परिवादी के कोई चोट कारित नहीं हुई, न ही उसका मेडिकल करवाया। प्रकरण में जब्तशुदा जेवरात, मोबाईल आदि की शिनाख्तगी परिवादी से नहीं करवाई। अभियुक्त विष्णु की कलाई पर फुल बना हुआ था, जिसे नहीं मिटाया गया। अभियुक्त चतरा की कलाई पर चतराराम, गुला की कलाई पर गुला, गोवा की कलाई पर गोवा, लाला के लालाराम व रमेश के हाथ पर रमेश नाम लिखा हुआ था। उक्त शिनाख्तगी के समय अभियुक्तगण के उपरोक्त नामों पर कोई टैप नहीं छिपकाई गई। इस प्रकार अभियुक्तगण गुला, चतरा, गोवा, रमेश व विष्णु ने परिवादी मुकेश को रोककर मारपीट की हो, इस बाबत न तो मुकेश के जाहिरा चोटें थी और न ही उसके द्वारा कोई मेडिकल करवाया गया। उपरोक्त अभियुक्तगण की शिनाख्तगी कार्यवाही पूर्णतः संदिग्ध है। परिवादी मुकेश ने उपरोक्त अभियुक्तगण को पहचानने से इंकार किया है। चक्षुदर्शी साक्षी सरला अभियोजन की ओर से परीक्षित नहीं हुई। तथाकथित बरामदगी के साक्षीगण संपूर्ण बरामदगी थाने पर ही किया जाना और थाने पर ही फर्दों पर हस्ताक्षर करवाया जाना कथन करते हैं। इस प्रकार उपरोक्त अभियुक्तगण ने परिवादी को घटना के रोज रोककर मारपीट कर लूट कारित की हो, यह तथ्य पूर्णतः संदेहपूर्ण है। उक्त संदेहपूर्ण साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धी कायम नहीं की जा सकती।

20- **निष्कर्षतः** अभियोजन द्वारा अभिलेख पर प्रस्तुत मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य के उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण से अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपित अपराध युक्तियुक्त संदेह से परे साबित होना नहीं पाया जाता है। अतः अभियुक्तगण गुलाराम पुत्र पूनाराम, चतराराम पुत्र वेलाराम, गोवाराम पुत्र गलबाराम, रमेश कुमार पुत्र हीराजी एवं विष्णु उर्फ पोटिया पुत्र बदराम संदेह का लाभ पाकर दोषमुक्ति के अधिकारी हैं।



आदेश

21- परिणामतः अभियुक्तगण गुलाराम पुत्र पूनाराम, उम्र 20 साल, चतराराम पुत्र वेलाराम, उम्र 21 साल, गोवाराम पुत्र गलबाराम, उम्र 22 साल, रमेश कुमार पुत्र हीराजी, उम्र 20 साल, निवासीगण आकोर फली, कुई, पुलिस थाना आबूरोड सदर, जिला सिरोही एवं अभियुक्त विष्णु उर्फ पोटिया पुत्र बदाराम, उम्र 20 साल, निवासी कुई पुलिस थाना आबूरोड सदर, जिला सिरोही को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 341, 323/34 व 395 भारतीय दण्ड संहिता में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है। अभियुक्तगण के अन्वीक्षार्थ लिये गये जमानत मुचलके एतद्वारा निरस्त किये जाते हैं।

22- प्रकरण में अभियुक्त लालाराम पुत्र गलबाराम मफरूर है, जिसके उपस्थित आने पर नियमानुसार उसका विचारण किया जाएगा। अतः प्रकरण में जब्तशुदा आर्टिकल सुरक्षित रखे जावे।

23- चूंकि प्रकरण में लालाराम पुत्र गलबाराम मफरूर है, जिसका विचारण शेष है। अतः पत्रावली के मुख्य पृष्ठ पर लाल स्याही से यह नोट अंकित किया जावे कि पत्रावली का कोई भाग नष्ट नहीं किया जावे।

(सुरेश कुमार)

अपर सेशन न्यायाधीश क्रम संख्या-02
आबूरोड, जिला सिरोही

25- निर्णय एवं आदेश आज दिनांक 09.07.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया एवं सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया।

(सुरेश कुमार)

अपर सेशन न्यायाधीश क्रम संख्या-02
आबूरोड, जिला सिरोही